

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-तृतीय, वैशाली, हाजीपुर

किमीनल अपील वाद संख्या 69/2016

पश्चात्

दिनांक 22.04.2025

अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट होता है कि धारा 323 भा0द0वि0 के अंतर्गत श्री ब्रजेश कुमार ठाकुर विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी द्वारा चारों अपीलकर्ता को दोषी पाकर धारा 3 प्रोसेशन ऑफ आफेंटर अधिनियम (परीक्षण अधिनियम 1958) के अंतर्गत लाभ दिया गया था। इसी के विरुद्ध यह अपीलवाद श्री सुरेन्द्र ठाकुर एवं श्री नागेन्द्र प्रसाद सिंह द्वारा दाखिल करवाया गया था। अभिलेख पर निचली अदालत का अभिलेख संलग्न है किन्तु विद्वान अधिवक्तागण अनुपस्थित हैं। पीठलिपिक उन्हें सूचित करें। ताकि सुनवाई किया जा सके। इसमें विद्वान अपर लोक अभियोजक की प्रतिनियुक्ति करावें।

दिनांक

साक्ष्य हेतु।

लेखापित
(गौरव कमल)

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-तृतीय

मेमो संख्या

/2025

दिनांक 22.04.2025

प्रतिलिपि श्रीमान् प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यालय वैशाली, जिला विधिक संघ एवं निचली अदालत को आवश्यक कार्रवाई हेतु।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-तृतीय